Fy-PEM 5-6-628 (21-22) (4)

संख्या–3ए–2–वे०पु०–(भ०)–08 / 2013–../ वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः–____________

विषयः– **षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2021 के प्रभाव से 164 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प सं०–8952 / वि०, दिनांक–11.11.2019 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक–01.07.2019 के प्रभाव से 164 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/3/2008-E-**II**(B) दिनांक–13.08.2021 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन / भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक–01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 164 प्रतिशत से बढ़ाकर 189 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है किः–

(i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2021 के प्रभाव से 164 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा ।

(iv) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

CK 08/10/21

Tr. No 1142
EDP Section
A H Govt Orders (v)

उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–2–वे०पु०(भ०)–08/2013–6599/**वि०** पटना, दिनांकः–27–09–2021

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।
27/9/2021

A.G.B.
29 SEP 2021
PATNA

3000921H0171

05102140240

Pen 09
4/10/21

3A\DA_Jul 2021_ 189% /Anil